अनुसार केस यह पाया कि RCA सह मार्ग के लिए
दीवानी पर अन्तर्गत 4 वकील लाल पुत्र मुन्ना
व अन्य 17 पर अन्तर्गत 3 पुत्री मुन्ना
की तलबी नोटिस पर बार मेजरमेंट तहसील
हाजिरी की रिपोर्ट पर बाद रहना पाया है
किन्तु वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण
दोनों ही अब दोनों पक्षकारों की तलबी
के लिए इनके सही पते चाहते नहीं चाहते हैं
ऐसा प्रतीत होता है कि अब दोनों पक्षों के
बीच कोई विवाद नहीं है, केवल तलबी
के लिए ही अब काफी समय से लंबित चल
रहे प्रकरण सरकारी अधिवक्ता [illegible]
RA Act व्यवस्था से रिमाइंड होने के बाद से ही
वर्ष 2007 से केवल तलबी के चल रहा है
अतः वकील वादी को एक मौका अंतिम दिया
जाकर अब दोनों पक्षकारों की तलबी हेतु
तलबाना सही पते के साथ रजिस्टर्ड डाक
से करवाने के लिए दिया जाता है। पत्रावली
दिनांक 18/8/21 को पेश हो।

18/8/21 वकील फरीकैन उपस्थित। वकील वादीगण ने
No Interaction Plead किया। प्रकरण पर
अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः
वादीगण No Interaction Plead
करने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है
पत्रावली फैसल हुआ। शेष नस्ल रजिस्टर
है।

No Grounds

22

18/

2